

104



नि.प्र.क्र.

/2012

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर के समक्ष

R - 2643-PB/12

रामचन्द्र पिता श्री सावंतजी पंधार

आयु - वयस्क, वर्ष, धंधा - काष्ठकारी

निवासी - ग्राम सुखलिया न्यू हीरानगर के पास,

तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) — प्रार्थी

श्री मरतभालवीय

अभिभावक द्वारा

विरुद्ध

आज दिनांक 26-7-12

को इन्दौर केम्प पर

प्रस्तुत ।

मध्यप्रदेश शासन

6/100/1

द्वारा तहसीलदार, इन्दौर (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थी

26-7-12

26-7-12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला

इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 39 / अ-6 / 2002-03 में

पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 से असन्तुष्ट होकर नीचे

लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

Gopal

[Signature]

अविरत्

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2643-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री भरत मालवीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	 (मनोज गोयल) अध्यक्ष 